

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा,  
श्रीनगर, गढ़वाल।

तकनीकी शिक्षा विभाग

देहरादून: दिनांक: 22 जनवरी, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधिक शिक्षा विभाग हेतु बजट साहित्य में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII-1/2017 दिनांक 30.06.2017 एवं आपके पत्रांक 1285/नि0प्रा0शि0/प्लान छ:-1(496)/2017-18 दिनांक 08.11.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग हेतु बजट साहित्य में प्राविधानित धनराशि के मानक मद 42-अन्य व्यय में ₹1500.00 हजार (₹ पन्द्रह लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 2- उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
- 4- यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संस्था द्वारा धनराशि को किसी भी दशा में आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि संस्था द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान धनराशि को बैंक खाते में रख कर व्याज अर्जित किया गया हो तो अर्जित व्याज की धनराशि को कम करते हुए शेष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव ही शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5- उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
- 6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- 7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
- 8- मितव्ययिता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।



- 6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- 7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
- 8- मितव्ययिता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- प्राविधानित धनराशि से पुस्तकें क्रय कर अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ही लाभान्वित किया जायेगा।
- 10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना से पूर्व में लाभान्वित हुए छात्रों को पुनः लाभान्वित नहीं किया जायेगा।
- 11- उक्त धनराशि से लाभान्वित होने वाले छात्रों की सूची/विवरण भी अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकौष्ठ को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के 'अनुदान संख्या-31' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2203-00-105-03-00-सामान्य पालीटेक्निक के मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश शासनादेश संख्या-183/xxvii-n/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक-1 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(ओम प्रकाश)  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-114/XLI-1/2018-87/14तददिनांकित।**

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, उत्तराखण्ड।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. मॉडर्न फाईल।

आज्ञा से,  
  
(अनूप कुमार मिश्रा)  
अनु सचिव।